16-04-18 दिनांक 14.04.18 को अवकाश होने से प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया। परिवादी अनुपस्थित।

> बार बार पुकार लगवाए जाने पर परिवादी व उनके अधिवक्ता भी अनुपस्थित।

> > प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

कई बार निर्देशित करने पर भी परिवादी की ओर से आव्हान शुल्क जमा नहीं किया गया है। परिवादी उपस्थित भी नहीं हैं, न हीं उनके अभिभाषक उप0 हैं। अतः परिवाद दप्रस की धारा 256 के अधीन अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर संचयन हेतु अभिलेखागार प्रेषित हो।

(A.K.Gupta)
Judicial Magistrate First Class
Gohad distt.Bhind (M.P.)

ALIMAN PARAN PARAN